

अमेरिकन एक्सप्रेस® प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड

सबसे महत्वपूर्ण नियम व शर्तें

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी, बैंकों के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन्स के मास्टर सर्कुलर का अनुपालन करते हुए, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. द्वारा सर्कुलेटेड 1 अगस्त, 2018 को अपडेट हुए, एमआईटीसी।

1) फीस तथा चार्ज

क) ज्वाइनिंग फीस तथा वार्षिक फीस:

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. ("अमेरिकन एक्सप्रेस") कॉर्पोरेट कार्ड जारी करने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता। एक वार्षिक सदस्यता शुल्क लागू तथा प्रतिवर्ष चार्ज किया जाता है। यह फीस विभिन्न कंपनियों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है तथा कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट कार्ड कार्यक्रम शुरू करते वक्त बता दी जाती है। स्टैंडर्ड वार्षिक फीस के लिए कृपया निम्नलिखित चार्ज की सारणी देखें :

ख) नकद अग्रिम/कॉर्पोरेट एक्सप्रेस कैश:

प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्डमैंबर्स, ("कॉर्पोरेट कार्डमैंबर्स", "कार्डमैंबर्स") कंपनी के ऑथराइजेशन के आधार पर भारत तथा विदेशों के चुनिंदा एटीएम से नकद निकालने के लिए प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड ("कॉर्पोरेट कार्ड", "कार्ड"), इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्डमैंबर्स हर 15 दिनों में या कंपनी द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार रुपये जिसका मूल्य 1000 USD के बराबर हो, या इसकी समकक्ष राशियों तक, जैसी भी स्थिति हो, नकदी निकाल सकते हैं। नकद अग्रिम पर मानक नकद अग्रिम के विवरणों के लिए कृपया नीचे दी गई शुल्क अनुसूची देखें।

ग) अन्य सर्विस चार्ज:

- 1) चार्ज तथा फीस, जो भी समय समय पर लागू किए जाते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सर्विसेज़ तथा कॉर्पोरेट कार्ड को चार्ज की जाने वाली कुछ ट्रांजेक्शन के लिए, कॉर्पोरेट तथा/या कार्डमैंबर द्वारा देय होंगी।
- 2) फीस अलग-अलग कंपनी के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। कृपया कंपनी विशिष्ट फीस के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट नियम व शर्तों को पढ़ें।

आज की तारीख में लागू चार्ज की मानक सूची निम्नलिखित है:

चार्ज का वर्णन	मानक शुल्क (मूल्य)
प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड वार्षिक फीस	₹29,000
मैंबरशिप रिवार्ड्स®/कॉर्पोरेट मैंबरशिप रिवार्ड्स® वार्षिक फीस	प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्डमैंबर, मैंबरशिप रिवार्ड कार्यक्रम – फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ऑप्शन या कॉर्पोरेट मैंबरशिप रिवार्ड कार्यक्रम, में कॉम्पलीमेंट्री (पूरक) नामांकन पाते हैं। (मैंबरशिप रिवार्ड कार्यक्रम या कॉर्पोरेट मैंबरशिप रिवार्ड कार्यक्रम में व्यक्तिगत दाखिला, कंपनी नामांकन के अधीन है) कार्डमैंबर्स द्वारा रेडजिराफ मर्चेंट पर किए गए किसी भी/सारे खर्च को मैंबरशिप रिवार्ड्स अर्जित करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
कैश अग्रिम शुल्क	निकाली गई रकम का 3.5%
डेलिंक्वेसी फीस/दोष शुल्क	बकाया का 3.5%, न्यूनतम ₹100 के अधीन
चेक रिटर्न फीस	₹150 प्रति वापिस किया गया उपकरण
डुप्लिकेट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट	₹100 प्रति स्टेटमेंट 3 माह से पुरानी स्टेटमेंट्स के लिए
चार्ज रिट्रीवल (वापसी) शुल्क का रिकॉर्ड	₹100 प्रति रिट्रीवल
रेलवे टिकट की खरीद पर सरचार्ज	यदि इंटरनेट (IRCTC) से बुक किया गया है तो ट्रांजेक्शन के मूल्य का 1.8% ₹10 की न्यूनतम राशि के अधीन
फ्यूल की खरीद पर सुविधा चार्ज/सरचार्ज	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज (ओएमसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के स्वामित्व वाले और/या उनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे पेट्रोल पंपों पर न्यूनतम

	₹10 की राशि के अधीन ट्रांजेक्शन राशि का 1% प्रति ट्रांजेक्शन. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर ₹25,000 या उससे अधिक की सभी ट्रांजेक्शंस पर ट्रांजेक्शन राशि का 0.3% प्रति ट्रांजेक्शन की दर से अधिभार/सुविधा शुल्क लागू होगा. शेल, अदाणी, एस्सार जैसी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों पर न्यूनतम ₹10 की राशि के अधीन ट्रांजेक्शन राशि का 2.5% प्रति ट्रांजेक्शन की दर से अधिभार/सुविधा शुल्क लागू होगा.
विदेशी मुद्रा ट्रांजेक्शन	विदेशी करेंसी रूपांतरण मार्क अप का 3.5%
बिल डेस्क के माध्यम से बिजली बिल, के भुगतान पर सुविधा शुल्क	सभी इलेक्ट्रिसिटी भुगतान के लिए: ₹1 – ₹15,000 : ₹50 प्रति लेन-देन ₹15,001 – ₹1,00,000 : ₹100 प्रति लेन-देन ₹1,00,001 या उससे अधिक : 1.95% प्रति लेन-देन
राजकीय राजस्व लेखा प्रणाली (गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम – जीआरएस) को भुगतान करने पर देय सुविधा शुल्क	एसबीआई ePay* के माध्यम से जीआरएस को किए जाने वाले सभी भुगतानों पर नीचे दिए गए सुविधा शुल्क लागू होंगे: अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क होगा: ₹1 – ₹90,00,000 तक : 0.94% ₹90,00,001 या इससे अधिक : 0.99% एसबीआई ePay द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क होगा: ₹1 – ₹90,00,000 तक : 1.00% ₹90,00,001 या इससे अधिक : 0.87% (करों सहित) *कृपया नोट करें कि एसबीआई ePay के माध्यम से जीआरएस को किए जाने वाले किसी भी भुगतान से संबंधित विवाद होने पर अमेरिकन एक्सप्रेस और भारतीय स्टेट बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे। कंपनी और / या कार्डधारक को सीधे जीआरएस के सामने ही इन विवादों / मामलों / समस्याओं को उठाना और इनका निपटान करना चाहिए।

उस पर माल और सेवा कर (जीएसटी):

एमआईटीसी में कहीं भी बताए गए चार्ज, जैसा कि बिलिंग स्टेटमेंट में दिखाई देता है, लागू माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर हैं जो कि शुल्क के साथ बिल किए गए हैं, अकाउंट का स्टेटमेंट और माल और सेवा कर (जीएसटी) के प्रभावी रेट के अनुसार लगाए गए हैं।

घ) देय तिथि: सभी चार्जज मासिक स्टेटमेंट मिलने के तुरंत बाद, स्टेटमेंट में दी गई नियत तिथि तक देय हैं। यदि मासिक स्टेटमेंट न मिले तो कार्डमैंबर को, कार्डमैंबर की रिकॉर्ड की प्रति (आर ओ सी) के आधार पर, खर्च के 21 दिनों के भीतर या अमेरिकन एक्सप्रेस के अनुरोध पर पहले भुगतान करना होगा।

उदाहरण: 13 जनवरी 2013 की मासिक स्टेटमेंट के आधार पर, नियत तिथि तक देय राशि ₹1,20,000 है। तो कार्डमैंबर को भुगतान की तारीख पर या उससे पहले, ₹1,20,000 का समूचा भुगतान करना पड़ेगा।

ड.) वित्तीय शुल्क: प्रॉडक्ट के अनुसार, कार्डमैंबर वित्तीय चार्जज के भुगतान के द्वारा, अपने कार्ड पर अतिदेय बैलेंस पर रिवॉल्व नहीं कर सकते। कार्डमैंबर से चार्ज लगने के 21 दिनों के भीतर या नियत तिथि पर कुल राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।

च) ओवर ड्यू इंटरैस्ट चार्ज: कोई भी ओवरड्यू इंटरैस्ट चार्ज प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड के लिए लागू नहीं है।

छ) डीफॉल्ट की स्थिति में चार्जज – डेलिक्वेंसी चार्ज (दोष चार्ज): डेलिक्वेंसी फीस (ओवरड्यू अकाउंट बैलेंस पर) न किए गए भुगतान पर 3.5% की दर पर दोष शुल्क लगाया जाएगा, (जिसमें न्यूनतम मासिक दोष फीस ₹100 होगा)। यदि अमेरिकन एक्सप्रेस नियत तिथि तक मासिक स्टेटमेंट में दर्शाया गया देय राशि का पूरा भुगतान प्राप्त नहीं करता तो, दोष शुल्क लगेगा। भुगतान : नए दोष शुल्क को ओवरड्यू/अतिदेय राशि के रूप में लिया जाएगा और डेलिक्वेंसी फीस के अधीन होगा।

उदाहरण के लिए: एक कार्डमैंबर की नियत तिथि तक कुल देय राशि है ₹1,20,000। यदि कार्डमैंबर नियत समय तक इसे नहीं चुका पाता, तो दोष शुल्क जो अगले माह की स्टेटमेंट में दिखेगा वह इस प्रकार आंकलित की जाती है: $3.5 \times ₹1,20,000 = ₹4,200$ । इस प्रकार कार्डमैंबर से चार्ज की गई दोष शुल्क हुआ ₹4,200।

माना कि कुल देय राशि है, $(₹1,24,200 = ₹1,20,000 + ₹4,200)$

यदि कार्डमैंबर अगली नियत तिथि तक भी नहीं चुका पाता, तो दोष शुल्क पूरी राशि ₹1,24,200 पर लगेगा, जो अगले माह की स्टेटमेंट में दिखेगा व इस प्रकार आंकलित किया जाएगा : $3.5\% \times ₹1,24,200 = ₹4,347$.

कृपया नोट करें कि उपरोक्त उदाहरण में दिया गया दोष शुल्क माल और सेवा कर (जीएसटी) छोड़ कर है। माल

और सेवा कर (जीएसटी) दोष शुल्क पर लागू दरों के आधार पर लगेगा।

2) ड्रॉल लिमिट:

क) क्रेडिट लिमिट तथा ख) उपलब्ध क्रेडिट लिमिट:

कॉर्पोरेट कार्डमेंबर्स अपनी कंपनी से खर्च की सीमा का पता करें। अमेरिकन एक्सप्रेस को पूरा अधिकार है अनुरोध किए गए किसी भी चार्ज के लिए प्राधिकरण को इंकार करने का।

कार्ड पर खर्च की जा सकने वाली राशि को समझने के लिए कॉर्पोरेट कार्डमेंबर्स हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं।

ग) नकद निकासी की सीमा: कार्डमेंबर भारत या विदेश में, चुनिंदा एटीएम से कैश एक्सेस करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कंपनी की अनुमति के अधीन है। कॉर्पोरेट कार्डमेंबर्स हर 15 दिनों में या कंपनी द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार रुपये जिसका मूल्य 1000 USD के बराबर हो, या इसकी समकक्ष राशियों तक, जैसी भी स्थिति हो, नकदी निकाल सकते हैं। कृपया ध्यान दें की नकद एडवांस पर फाइनैस शुल्क ठीक अगले दिन से ही वसूल किया जाता है।

3) बिलिंग तथा भुगतान

क) बिलिंग स्टेटमेंट (अकाउंट की स्टेटमेंट) – आवधिकता तथा भेजने का तरीका:

कॉर्पोरेट कार्डमेंबर या कॉर्पोरेट को कूरियर या सामान्य पोस्ट या ई मेल के ज़रिए, हर बिलिंग अवधि के लिए एक मासिक स्टेटमेंट भेजी जाएगी, जिस दौरान कार्ड अकाउंट में कोई भी गतिविधि हुई हो या भुगतान बकाया हो। हालांकि, उस अवधि के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है जिसमें पिछले महीने कोई बकाया देय नहीं रहा है और अकाउंट पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है।

स्टेटमेंट का न मिलना किसी भी वजह से, देय का भुगतान न करने का वैध कारण नहीं माना जाएगा। यदि कार्डमेंबर को उनकी नियत तिथि के दस दिनों के अंदर स्टेटमेंट नहीं मिलती तो कार्डमेंबर को अमेरिकन एक्सप्रेस को कॉल कर भुगतान की राशि का पता करना चाहिए। कार्डमेंबर www.americanexpress.co.in पर लॉग ऑन कर अमेरिकन एक्सप्रेस ऑनलाइन अकाउंट के लिए रजिस्टर कर के अपनी स्टेटमेंट ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

ख) देय राशि/नियत तिथि:

कॉर्पोरेट कार्डमेंबर, पूरी राशि का अकाउंट की स्टेटमेंट के अनुसार नियत तिथि तक भुगतान करें। भुगतान मिलने की सूचना अगली स्टेटमेंट्स में दी जाएगी। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो धारा 1 (छ) के अनुसार शुल्क लिए जाएंगे। भुगतान की अभिस्वीकृति अनुवर्ती स्टेटमेंट में की जाती है।

ग) भुगतान का तरीका:

कार्डमेंबर नियत तिथि तक भारतीय रूपए में भुगतान कर सकते हैं। निम्नलिखित सुविधाजनक तरीकों से कार्ड खाते में भुगतान प्रेषित कर सकते हैं:

— नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) द्वारा —

भुगतान पाने वाले का नाम : अमेरिकन एक्सप्रेस

भुगतान पाने वाले का एकाउंट नंबर : 37XXXXXXXXXXXX

(XX आपके कार्ड के अंतिम 13 अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं)

बैंक का नाम : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

भुगतान पाने वाले एकाउंट का प्रकार : करेंट एकाउंट (चालू खाता)

IFSC कोड : SCBL0036020

ब्रांच का पता : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नारायण मंजिल, 23 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110001

यदि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर रहे हों, तो IFSC कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको सिर्फ "Transfer to another SCB bank account" ऑप्शन को चुनना होगा।

आप अपने फंड्स को कार्यदिवसों* के दौरान 3 p.m. तक और सप्ताहांत के दिनों** में 10 a.m. तक ट्रांसफर कर दें, जिससे वे अगले ही दिन, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़ कर, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, ट्रांजेक्शन के असफल होने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि सही कार्ड नंबर एंटर किया गया है।

*आपके बैंक द्वारा समय पर प्रसंस्करण के अधीन।

**सप्ताहांत में शामिल हैं किसी सप्ताह में शनिवार या रविवार को पड़ने वाले कार्यदिवस, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है। हालांकि सप्ताहांत में कोई अवकाश शामिल नहीं है, जिसे बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

- **डायरेक्ट डेबिट** — आप अपने बैंक खाते से प्रति माह डायरेक्ट डेबिट के लिए भी नामांकन कर सकते हैं तथा भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रस्तुत नेशनल ऑटोमेटिड क्लियरिंग हाउस (डेबिट) के माध्यम से कार्ड का भुगतान कर सकते हैं।
- **ऑन लाइन:** अपने कार्ड बिल को कही से भी कभी भी चुकाइए, तीन आसान कदमों में। लॉग ऑन कीजिए www.americanexpress.co.in पर तथा क्लिक कीजिए, “ पे योर बिल नाउ पर”। अपनी कार्ड संबंधी जानकारी तथा बैंक अकाउंट फॉर्म भरिए, जिससे आप भुगतान करना चाहते हैं।
- **क्रॉसड चेक ड्राफ्ट** — एक क्रॉसड चेक/ड्राफ्ट जो AEBC कार्ड नंबर 37XX XXXXXX XXXXX पर देय हो, और चेक के पीछे अपना नाम तथा संपर्क नंबर लिखें और पत्र द्वारा इस पते पर भेजें :
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.
साइबर सिटी टावर सी
डीएलएफ बिल्डिंग नंबर 8 सैक्टर 25
डीएलएफ सिटी फेज़ 2, गुडगांव 122002.

यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि भुगतान देय तिथि से कम से कम 4 कार्य दिवस पहले ही चेक/ड्राफ्ट को किसी अमेरिकन एक्सप्रेस ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाना चाहिए ताकि आपके कार्ड खाते में समय पर क्रेडिट होना सुनिश्चित हो जाए और दंडात्मक प्रभार लेवी से बचा जा सके।

कार्डमेंबर के कार्ड की बकाया के एवज में प्राप्त भुगतान को सभी करें, शुल्कों और अन्य प्रभार, ब्याज प्रभार, अग्रिम नकद व खरीदारियों के एवज में उसी क्रम में समायोजित किया जाएगा।

घ) बिलिंग विवादों का निपटारा:

कॉर्पोरेट कार्ड अकाउंट की मासिक स्टेटमेंट में यदि कोई भी अनियमितता नज़र आए तो 24 घंटे की प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड सर्विस हेल्पलाइन पर कॉल करें या स्टेटमेंट तारीख के 60 दिनों के अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस को लिख कर प्रस्तुत करें। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डमेंबर को उसके कार्ड अकाउंट से संबंधित चार्जस की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाएगा। यदि कार्डमेंबर अमेरिकन एक्सप्रेस को भूल-चूक हो जाने के बारे में स्टेटमेंट के 60 दिनों के भीतर सूचना नहीं देगा तो, गलत ढंग से अकाउंट में क्रेडिट की गई राशि के अलावा, स्टेटमेंट को पूरा और निपटा हुआ और सही माना जाएगा।

ङ) प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड सर्विस हेल्पलाइन के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर की कॉन्टेक्ट डीटेल:

कृपया किसी भी सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध, अमेरिकन एक्सप्रेस की प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड सर्विस हेल्पलाइन को 1800-419-1092 (Toll Free) या +91-124-280-1092 पर कॉल करें

च) शिकायतों का समाधान : अधिकारियों का ब्यौरा, जिनसे संपर्क किया जाए:

यदि कॉर्पोरेट/कार्डमेंबर की पछताछ अनसुलझी रह जाए, तो कार्डमेंबर कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकता है या

पहला चरण सुश्री शिल्पी रेहानी/सुश्री सुषमा अमीन एग्जीक्यूटिव कॉरिस्पोंडेंस यूनिट, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. साइबर सिटी, टावर सी, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, सेक्टर – 25, डीएलएफ सिटी फेज़-II, गुडगांव – 122002, हरियाणा फोन: 0124-3362044 / 0124-3362172 ई-मेल: manager-customerservicesindia@aexp.com	दूसरा चरण श्री. राजीव बथला, संचालन प्रमुख अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. साइबर सिटी, टावर सी, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, सेक्टर – 25, डीएलएफ सिटी फेज़-II, गुडगांव – 122002, हरियाणा ई-मेल: head-customerservicesindia@aexp.com
---	---

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं या आपको एक माह के भीतर हमसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप निवारण के लिए बैंकिंग प्रशासनिक जाँच अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए www.rbi.org.in पर लॉग ऑन करें।

छ) कार्ड जारी करने वाले का संपूर्ण पता:

अमेरिकन एक्सप्रेस बिल्डिंग कॉर्प.
साइबर सिटी, टावर सी, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8,
सैक्टर-25, डीएलएफ फेज़ 2, गुडगांव 122002, हरियाणा, भारत

ज) प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड सर्विस हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर:

अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड सर्विस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-419-1092

झ) विदेशी मुद्रा में किए गए चार्ज:

यदि आपकी कंपनी, ट्रेवल ओवरसीज के दौरान कॉर्पोरेट कार्डमेंबर्स द्वारा कॉर्पोरेट कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देती है और कॉर्पोरेट कार्डमेंबर अपनी ट्रेवल कॉर्पोरेट ओवरसीज के दौरान कॉर्पोरेट कार्ड इस्तेमाल करता है तो इसका अर्थ कार्डमेंबर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए एक्सचेंज कंट्रोल नियमों, अधिनियम, दिशानिर्देशों तथा संशोधनों तथा कोई भी नियम व शर्त जो आरबीआई की ओर से कंपनी को विशेष/सामान्य तौर पर दी हुई स्वीकृति पर लागू हो, को माना जाना होगा, जो कि RBI द्वारा समय समय पर, कार्डमेंबर की विदेश यात्रा तथा विदेशी एक्सचेंज के इस्तेमाल पर जारी किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट कार्ड एक विश्वस्तर पर मान्य कार्ड है तथा नेपाल और भूटान की व्यापारिक जगहों के विदेशी एक्सचेंज के लिए वैध नहीं है। ऐसे भुगतान कार्डमेंबर को भारतीय रूपए में करने होंगे। जिस तिथि पर विदेशी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेजरी सिस्टम चार्ज प्रोसेस करेगा, सभी विदेशी मुद्रा के चार्ज तथा नकद निकासी भारतीय रूपए में परिवर्तित होंगे। यदि चार्ज यूएस डॉलर में नहीं है तो कंवर्जन यूएस डॉलर के ज़रिए किया जाएगा, चार्ज राशि को यूएस डॉलर में बदल कर और फिर यूएस डॉलर को भारतीय रूपए में बदलकर। यदि चार्ज यूएस डॉलर में है तो वह सीधा भारतीय रूपए में बदल दिया जाएगा। जब तक लागू कानून द्वारा एक विशिष्ट रेट की ज़रूरत न हो, तब तक आप मानते तथा सहमत हैं कि विदेशी अमेरिकन एक्सप्रेस, ट्रेजरी सिस्टम इंटरबैंक के आधार पर कंवर्जन रेट इस्तेमाल करेगा, जो यह प्रोसेसिंग तारीख से पहले के व्यापारिक दिन पर विशिष्ट इंडस्ट्री सूत्रों के द्वारा चुनता है, जो कि 3.5% है फॉरेन करेंसी कंवर्जन मार्क अप से बढ़ जाता है। एईबीसी को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, तीसरे पक्ष द्वारा परिवर्तित कोई भी चार्ज, तीसरे पक्ष द्वारा चुने गए रेट पर ही होंगे।

ज) कांटैक्टलेस भुगतान:

6 मार्च 2017 से प्रभाव के साथ, आपके अकाउंट के लिए जारी होने वाले कार्ड को कांटैक्टलेस भुगतान करने हेतु सक्षम करने के लिए सुसज्जित किया जा सकता है। किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए अधिकतम ₹2000 की सीमा तक कांटैक्टलेस मोड द्वारा भुगतान की अनुमति दी जा सकती है। किसी कांटैक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए पिन की आवश्यकता नहीं होती है। ₹2000 की सीमा से अधिक राशि की किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कांटैक्ट ट्रांजेक्शन (डिप या स्वाइप) और पिन एंटर करके या हस्ताक्षर के द्वारा ही भुगतान किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो ₹2000 की सीमा से कम राशि की किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए भी पिन के साथ कांटैक्ट ट्रांजेक्शन (डिप या स्वाइप) हस्ताक्षर के द्वारा भी भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि मुझको जारी किए गए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को कांटैक्टलेस भुगतान के लिए सक्षम किया जाएगा, और मैंने इस तरह के कांटैक्टलेस कार्ड की टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग और इससे जुड़े जोखिमों को समझ लिया है। मेरी सभी ट्रांजेक्शंस को अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा की पेशकश की गई धोखाधड़ी सुरक्षा की गारंटी के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा।

4) डिफॉल्ट तथा परिस्थितियां

क) चूककर्ता के रूप में कार्डधारक सदस्य को घोषित करने की प्रक्रिया (नोटिस अवधि सहित)

निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड खाते को अतिदेय या डिफॉल्ट माना जाएगा:

- चेक/एनएसीएच/एनईएफटी द्वारा भुगतान जिस द्वारा पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होती।
- भुगतान की देय तिथि तक (जैसी की खाते की स्टेटमेंट में उल्लेखित है) पूर्ण राशि का भुगतान नहीं हुआ है।
- अगर कार्डधारक सदस्य अपने प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड के संबंध में गलत या भ्रामक सूचना देते हैं।
- प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर।
- अगर कार्डधारक सदस्य के दिवालिया होने की कोई याचिका जारी की गई या अन्य ऋणदाता द्वारा उनकी सम्पत्ति को जब्त करने का कोई प्रयास किया गया है।
- अगर कॉर्पोरेट कार्डधारक सदस्य का खाता डिफॉल्ट में है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस चाहता है कि वह अपने खाते से संबंधित सभी बकाया राशि का अविलम्ब भुगतान करें तथा अन्यथा अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसा कार्ड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अंतिम अनपेड बिलिंग स्टेटमेंट के अनुसार अगर कॉर्पोरेट कार्डधारक सदस्य का खाता में बकाया राशि का भुगतान 90 दिनों के बाद भी नहीं किया गया है तो ऐसे कार्डधारक सदस्य को चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाएगा।
- वैधानिक और विनियामक यथा कथित औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए कार्डधारक सदस्य का नाम क्रेडिट ब्यूरो को प्रस्तुत किया जा सकता है।

ख) प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्डमेंबर के नाम की सलाह क्रेडिट ब्यूरो में दी जाती है जो कि वैधानिक व नियामक जरूरतों के अनुसार है।

कार्ड खाते की बकाया राशि के प्रति भुगतान की प्राप्ति पर डाटा में कोई भी नवीकरण/अद्यतनीकरण, बैंक द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कंपनियों में प्रकट होगा।

ग) डिफॉल्ट/अकाउंट ओवर ड्यू में रिकवरी प्रक्रिया

डिफॉल्ट/भुगतान न करने, की स्थिति में बैंक निम्नलिखित कार्यवाही और वसूली के तरीके अपनाता है:

- **एसएमएस:** कार्डमेंबर द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे जाएंगे और उसे उसके छूटे हुए भुगतान की याद दिलाई जाएगी।
- **पत्र:** कार्डमेंबर द्वारा दिए गए पते पर पत्र भेज कर उसे उसकी अति देय राशि, भुगतान की नियत तारीख तथा उसके बाद लगाए गई दोष शुल्क के बारे में तथा भुगतान न करने के परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- **टेलीफोन:** कार्डमेंबरों से उनके भुगतान की स्थिति जानने के लिए तथा उन्हें अतिदेय राशि की सूचना देने के लिए, उनके ऑफिस या निवास पर संपर्क किया जा सकता है।
- **फील्ड विज़िटेशन:** कार्डमेंबर के पते पर बैंक द्वारा अधिकृत रिकवरी कर्मचारी का आगमन। रिकवरी कर्मचारी, विनम्रतापूर्वक क्रेडिट कार्डमेंबर को ओवरड्यू राशि को नियमित करने को कहेगा और कार्डमेंबर के अपने कार्ड अकाउंट पर किसी भी विषय/परेशानी को सुलझाएगा।
- **न्यायिक सहारा:** कार्डमेंबर द्वारा चूक की स्थिति में अमरेकिन एक्सप्रेस के विवेकानुसार न्यायिक सहारा लिया जा सकता है।

घ) **मृत्यु/स्थायी अक्षमता की सूरत में देय की रिकवरी:** प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्डमेंबर की मृत्यु की स्थिति में कंपनी को कॉर्पोरेट कार्ड अकाउंट को नियमित करना होगा। व्यक्तिगत देयता की स्थिति में अमेरिकन एक्सप्रेस दिवंगत के निकट के रिश्तेदारों से पत्र या फोन के माध्यम से फॉलो अप करेगा और उन्हें और प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड की बकाया राशि की जानकारी देकर, उन्हें रकम को चुकाने की सलाह देगा।

ड.) **कार्डमेंबर के लिए बीमा कवर तथा एक्विटेशन पॉलिसी:** अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्डमेंबर के रूप में आप अपने आप ही कांपलिमेंट्री बिजनेस ट्रेवल एक्सिडेंट बीमा, व ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस के हकदार हो जाते हैं, जब आप सामान्य कैरियर यात्रा टिकट का भुगतान कॉर्पोरेट कार्ड से करते हैं। बीमा लाभ भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उपलब्ध करवाता है और यह नियमों और शर्तों के अधीन है। कार्डमेंबर को बीमा क्लेम भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सीधे निपटाने होंगे।

कार्डधारक को बीमा के लिए नॉमिनी नियुक्त करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। यह कार्डमेंबर की जिम्मेदारी है कि वह सही तरह से भरा उक्त फॉर्म बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए। नॉमिनेशन फॉर्म कॉर्पोरेट कार्ड के संग भेजे वैल्कम पैक के साथ उपलब्ध है। यदि आपको बीमा नामांकन फॉर्म की एक प्रति चाहिए तो कृपया हमें कॉल करें।

छूट तथा सीमाएं लागू। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें या लॉग ऑन करें americanexpress.co.in/corporateplatinum पर और पाएं मास्टर पॉलिसी की एक प्रति।

पॉलिसी के एक्विटेशन की तिथि

यदि वार्षिक शुल्क का समय पर भुगतान किया गया है तो नामांकन पर, कार्डमेंबर अपने आप बीमा फायदों के योग्य हो जाएगा। ये फायदे कार्ड अकाउंट के वैध रहने तक बने रहेंगे।

बिजनेस ट्रेवल एक्सीडेंट

यात्रा बीमा— केवल अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट प्लैटिनम कार्ड पर बुक किए गए टिकट लागू होते हैं

कवर	ज्योग्राफिकल स्कोप	बीमित राशि	कटौती योग्य
कॉमन कैरियर	वर्ल्ड वाइड कवर	₹50,000,000	शून्य
दुर्घटना में मृत्यु	वर्ल्ड वाइड कवर	₹3,000,000	शून्य
स्थायी पूर्ण अक्षमता (PTD)	वर्ल्ड वाइड कवर	₹3,000,000	शून्य
चैक इन कराए हुए बैगेज की संपूर्ण हानि,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 1,500	शून्य

चैक इन कराए हुए बैगेंज मिलने में देरी,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 750	6 घंटे
पासपोर्ट और दस्तावेजों का खोना	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 350	शून्य
छूटे कनेक्शन	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 1, 500	शून्य

विदेशी चिकित्सा बीमा

विदेशी चिकित्सा बीमा – वैध अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट प्लैटिनम कार्ड के लिए लागू			
कवर	ज्योग्राफिकल स्कोप	बीमित राशि	कटौती योग्य
इमर्जेंसी मेडिकल खर्चें,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 50, 000	USD 100
इमर्जेंसी मेडिकल इवैकुएशन,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 50, 000	शून्य
मृत्यु पश्चात् अवशेषों को स्वदेश भेजना,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 5, 000	शून्य
दैनिक अस्पताल भत्ता,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 30 प्रति दिन USD 300 तक	शून्य
दंत चिकित्सा व्यय,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 150	USD 50
व्यक्तिगत देयता,	ओवरसीज कवर तक सीमित	USD 100, 000	शून्य

5) प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्डधारक की सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण

प्लैटिनम कॉर्पोरेट कार्ड के समर्पण की प्रक्रिया – उचित सूचना

कॉर्पोरेट कार्डधारक की सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण के लिए, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को कॉर्पोरेट कार्ड को रद्द करने के निर्णय के बारे में अमेरिकन एक्सप्रेस को सूचित करना होगा। ऐसी स्थिति में आपकी सभी बकाया राशि तुरंत देय होगी। कॉर्पोरेट कार्ड की समाप्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब अमेरिकन आपके कार्ड खाता के संबंध में सभी बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करेगा।

6) कार्ड गुम/चोरी हो जाने एवं दुरुपयोग की स्थिति में

क) कार्ड गुम/चोरी हो जाने एवं दुरुपयोग की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया – कार्ड जारीकर्ता को सूचित करने की विधि

कार्ड गुम, चोरी होने या देय तिथि पर प्राप्त न होने तथा कार्डधारक सदस्य की अनुमति के बिना कार्ड के प्रयोग की संदिग्धता होने पर कार्डधारक सदस्य को तुरंत अमेरिकन एक्सप्रेस को सूचित करना होगा। इस प्रकार की हानि या चोरी के बारे में कार्डधारक सदस्य 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन नंबर [3 (ज) देखें] पर संपर्क कर सकते हैं।

अमेरिकन एक्सप्रेस गुम/चोरी हुए कार्ड के प्रयोग को तुरंत बाधित कर देगा, इसके बदले एक नया कार्ड जारी करेगी। अगर बाद में गुम हुआ कार्ड मिल जाता है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, नया कार्ड और आगामी नवीकरणों को ही प्रयोग किया जा सकता है। मूल कार्ड की पुनः प्राप्ति की सूचना तुरंत अमेरिकन एक्सप्रेस को दी जानी चाहिए तथा इसे टुकड़ों में काटकर अमेरिकन एक्सप्रेस को वापिस लौटाया जाना चाहिए।

ख) उपरोक्त (क) के स्थिति में कार्डधारक सदस्य की देयता

- बशर्ते कि कार्ड मेंबर ने नेक नियत से काम किया हो, क्रेडिट कार्ड के किसी अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रति उसकी देयता शून्य होगी यदि अमेरिकन एक्सप्रेस को धोखाधड़ी के 3 कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट प्राप्त हो। यदि धोखाधड़ी की सूचना 3 कार्य दिवसों के बाद दी जाती है तब ग्राहक की अधिकतम देयता ₹1000 तक सीमित होगी।
- कार्डधारक सदस्य अपने कार्ड द्वारा, ऑनलाइन, या भौतिक दुनिया में किसी प्रकार के अनाधिकृत प्रभार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे, जब तक कि वह कार्ड के नियम व शर्तों का अनुपालन करते हैं तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी वाली लेन-देन के बारे में तुरंत* सूचना देते हैं।
- अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा अंगीकृत और कार्यान्वित सुरक्षा उपाय अंतरराष्ट्रीय मानकों के हैं, और यह कार्डमेंबर के आंकड़ों को अनाधिकृत पहुँच से सुरक्षित रखने के लिए प्रभावशाली हैं, तथा यह फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश अनुसार पीसीआई डीएसएस प्रमाणिकरण के एवज में हैं। फिर भी

अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा पीसीआई डीएसएस प्रमाणिकरण प्राप्त न करने की वजह से कार्डमेंबर को हुई हानि की भरपाई अमेरिकन एक्सप्रेस करेगा।

**तुरंत का तात्पर्य है, जैसे ही कार्डमेंबर को पता चलता है, पर यह स्टेटमेंट में छल पूर्ण ट्रांजेक्शन दिखाई पड़ने की नियत तिथि से पहले होना चाहिए।*

7) वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रयोज्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने विवेकानुसार, अपने कार्यकलापों को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता की सेवाएं प्राप्त कर सकता है/उन्हें नियुक्त कर सकता है, चाहे वो भारत में हो या विदेश में या फिर कोई बैंक का सहयोगी हो या तीसरा पक्ष। बैंक डेटा गोपनीयता नीति के अनुसार, किसी भी प्रकार बाहरी सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से ऐसा सेवा प्रदाताओं को कार्डमेंबर के विवरण प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8) क्रेडिट ब्यूरो को प्रकटीकरण

कार्डमेंबर इस बात को मानता है कि वर्तमान बिजनेस कार्यप्रणाली के अनुसार, बैंक समय समय पर कार्डमेंबर को बगैर अतिरिक्त जानकारी दिए, क्रेडिट कार्ड/चार्ज कार्ड से संबंधित जानकारी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कंपनियों पर प्रकट कर सकता है। अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा कार्डमेंबर को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनीज (विनियमन) एक्ट 2005 के अनुरूप रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनीज को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों को उसके खाते से संबंधित डेटा की रिपोर्ट (सकारात्मक या नकारात्मक) दी जाएगी। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डमेंबर को सूचित करता है कि बैंक, जब भी अमेरिकन एक्सप्रेस का वित्तीय सेवा उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए टाई-अप हो तो वह कार्ड संबंधी जानकारी अपने ग्रुप/सहयोगियों/संस्थाओं या कंपनियों से बांट सकता है, जब तक कि कार्डमेंबर की स्पष्ट मनाही न हो। जानकारी प्रदाता की गोपनीयता बनाए रखना अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए बेहद अहम है। हम सूचना तकनीकी (उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं व अभ्यासों तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या जानकारी) हेतु प्रतिबद्ध हैं। नियम 2011 (भारतीय गोपनीयता नियम) हमारा डाटा गोपनीयता सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार अमेरिकन एक्सप्रेस व उसके कर्मचारी, सहयोगी और विक्रेता व्यक्तिगत जानकारी को, डाटा सुरक्षा तथा गोपनीयता सिद्धांतों के अनुसार, एकत्र, प्रयोग, प्रेषित, नष्ट या अथवा संशोधित करेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस गोपनीयता पॉलिसी तथा हम किस प्रकार जानकारी एकत्र, प्रोसेस तथा स्टोर करते हैं जानने के लिए, लॉग ऑन करें : <https://www.americanexpress.com/in/content/privacy-statement.html> पर।

साथ ही अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्ड के बारे में विस्तृत नियम व शर्तें जानने के लिए, यहाँ कॉर्पोरेट कार्ड के साथ ही आपको भेजा गया, अपना कार्डमेंबर अनुबंध देखें।

अस्वीकरण: अति महत्वपूर्ण नियमों व शर्तों (एमआईटीसी) का यह हिन्दी अनुवाद हिन्दी भाषा को समझने वाले व्यक्तियों हेतु है। हालांकि इस दस्तावेज के हिन्दी अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती गई है तथापि इसकी सटीकता या सम्पूर्णता के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। एमआईटीसी का अंग्रेजी में मूल पाठ हमारी वेबसाइट americanexpress.co.in पद में उपलब्ध है। हिन्दी प्रारूप में इन अति महत्वपूर्ण नियमों व शर्तों के अर्थों में किसी प्रकार का विवाद होने पर अंग्रेजी प्रारूप को मान्य माना जाएगा।



www.americanexpress.co.in

अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट कार्डमेंबर हेल्पलाइन नंबर
ऑल इंडिया टोल-फ्री 1800-419-1222 व +91-124-280-1222

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.

साइबर सिटी, टावर सी, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, सैक्टर-25, डीएलएफ फेज 2, गुडगांव 122002, हरियाणा
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का पंजीकृत ट्रेडमार्क ® अमरीका में शामिल.